

सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी (C.S.C.-S.P.V. TRIVENI)

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग ने जन सुविधा केन्द्रों की योजना को जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायतों/**ग्रामों** एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डों तक पहुँचाने हेतु सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी केन्द्रों को खोलने हेतु यह योजना शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार सीधे सभी ग्राम पंचायतों/**ग्रामों** एवं शहरी क्षेत्रों के वार्डों तक शासकीय एवं अन्य सुविधाओं को एक ही केन्द्र पर उपलब्ध कराना चाहती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में एक **त्रिवेणी सुविधा केन्द्र** खोला जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायत या वार्ड के बेरोजगार बिना किसी जमानत राशि दिये यह केन्द्र खोल सकते हैं। सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी जो कि इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहा है वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) की जिला इकाईयों से सहयोग लेकर इन केन्द्रों के खोलने में सहयोग करेगा।

जनपद में सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) विकास भवन स्थित कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। योजना के बारे में अधिक जानकारी www.csc.gov.in से प्राप्त की जा सकती है एवं आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप फिरोजाबाट जनपद की बेबसाइट www.firozabad.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु निर्धारित पात्रता—

1. आवेदक सम्बन्धित ग्राम पंचायत या वार्ड का निवासी होना चाहिये।
2. आवेदक कम से कम 10वीं पास एवं उसे कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये।
3. महिला आवेदक को प्रथम वरीयता दी जायेगी।
4. अगर पूर्व में उस ग्राम पंचायत में कोई सी०एस०सी० केन्द्र कार्य कर रहा है तो दूसरा केन्द्र खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. आवेदक के पास पैन, आधार/ईपिक कोर्ड होना चाहिये।
6. सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक उपकरण –

केन्द्र खोलने हेतु कम से कम एक लैपटाप/डेस्कटाप, प्रिन्टर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं यू०पी०एस०/इन्वर्टर होना आवश्यक है। यह सभी उपकरण आवेदक को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी केन्द्रों के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं—

इन केन्द्रों के द्वारा मुख्यतः मिनी बैंकों की सुविधा, सभी कम्पनियों के इन्स्योरेंस स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, आधार कार्ड बनाया जाना, पैन कार्ड के लिये आवेदन, रेलवे टिकट, पासपोर्ट के लिए आवेदन, मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज के साथ छात्रों की आनलाइन पढ़ाई, ट्रेन व बस में सीट का आरक्षण। आगामी चरण में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं भी इन केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेंगी। सी०एस०सी०–एस०पी०वी० त्रिवेणी का उपयोग भी कर सकेगी।

किसी भी जानकारी के लिये काल करें।— 05612 285137